

**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण**

सं. एफ.2/07/2020/8.1/132

दिनांक: 04.05.2020

स्पष्टीकरण

जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) संतुष्ट है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कोविड-19 महामारी के संक्रमण का खतरा है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पहले ही वैश्विक महामारी घोषित किया जा चुका है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इस संक्रमण को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने के लिए इसे आवश्यक समझा गया है।

और जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा परिस्थिति से निबटने के लिए समस्त अपेक्षित उपाय अपनाने के लिए सर्वसंबंधित प्राधिकारियों को समय-समय पर विभिन्न आदेश/निदेश दिए गए हैं।

और जबकि, गृह मंत्रालय ने आदेश सं. 40-3/2020-डीएम-1 (ए) दिनांक 29.04.2020 और 01.05.2020 के द्वारा विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए प्रवासी मजदूर, तीर्थयात्री, पर्यटक, विद्यार्थी तथा अन्य व्यक्तियों की आवाजाही के संबंध में दिशा-निर्देश/निदेश जारी किए हैं।

और जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने इस संबंध में आदेश सं.122 दिनांक 01.05.2020 और आदेश सं.129 दिनांक 03.05.2020 जारी करने के साथ-साथ मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है ताकि प्रवासी मजदूर, तीर्थयात्री, पर्यटक, विद्यार्थी तथा अन्य व्यक्तियों को दिल्ली से अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में भेजा जा सके और अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से दिल्ली में लाया जा सके।

और जबकि, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अ.स. पत्र सं. 40-10/2020 डीएम-1 (ए) दिनांक 03.05.2020 के द्वारा, अब, स्पष्ट किया गया है कि गृह मंत्रालय के दिनांक 29.04.2020 एवं 01.05.2020 के उपर्युक्त आदेश ऐसे फंसे हुए व्यक्तियों की आवाजाही की सुविधा से संबंधित हैं, जो लॉकडाउन अवधि से ठीक पहले अपने मूल स्थानों/कार्यस्थलों से आ गए थे, किंतु लॉकडाउन उपायों के कारण व्यक्तियों और वाहनों की आवाजाही की पाबंदियों के चलते वापस अपने मूल स्थानों/कार्यस्थलों को नहीं लौट सके। उपरोक्त आदेशों में उल्लिखित सुविधा का अभिप्राय है कि ऐसे व्यथित व्यक्ति, इनमें वे व्यक्ति नहीं आते जो सामान्यतया कार्य आदि के लिए उस स्थान पर रह रहे हों, किन्तु उनका मूल निवास कहीं और हो, और जो सामान्य तौर पर अपने मूल निवास स्थान की यात्रा करना चाहते हों।

अतः, अब, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुच्छेद 22 के तहत निहित शक्तियों के उपयोग के द्वारा, राज्य कार्यकारी समिति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अध्यक्ष के रूप में, अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिए जाते हैं कि दिल्ली राज्य के लिए नामित नोडल अधिकारी सहित समस्त संबंधित प्राधिकारी, दिल्ली पुलिस के नोडल अधिकारी, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के समस्त नोडल

अधिकारी, दिल्ली के जिलाधिकारी, जिला पुलिस उपायुक्त, दिल्ली पुलिस, दिल्ली के अपर जिलाधिकारी, अपर पुलिस उपायुक्त-1, दिल्ली पुलिस द्वारा दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपर्युक्त आदेश दिनांक 03.05.2020 का उचित भावना के साथ क्रियान्वित करते हुए, उपर्युक्त स्पष्टीकरण का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(विजय देव)
मुख्य सचिव, दिल्ली

प्रतिलिपि अनुपालनार्थ :

1. आयुक्त पुलिस, दिल्ली।
2. श्री पी0के0 गुप्ता, प्रधान सचिव (समाज कल्याण), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
3. मुक्तेश चन्दर, विशेष आयुक्त, दिल्ली पुलिस।
4. सेवा विभाग के दिनांक 15.4.2020 के आदेश सं0 140 द्वारा नियुक्त समस्त नोडल अधिकारी।
5. प्रधान सचिव (राजस्व)/मंडलीय आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
6. प्रधान सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
7. आयुक्त (परिवहन), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
8. प्रबंध निदेशक, दिल्ली परिवहन निगम, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
9. प्रबंध निदेशक, डीटीडीसी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, डीयूएसआईबी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
11. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, दिल्ली।
12. समस्त जिला उपायुक्त, पुलिस को अपर उपायुक्त पुलिस को निर्देशों के पर्यवेक्षण एवं सूचना हेतु।
13. समस्त अपर जिला मजिस्ट्रेट, दिल्ली।
14. निदेशक (डीआईपी), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
15. श्री गोपाल मोहन, सदस्य, डीडीएस, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
16. श्री संदीप जैन, वैज्ञानिक, एनआईसी, दिल्ली।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :-

1. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली।
2. अपर सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
3. सचिव, माननीय उप-मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
4. सचिव, माननीय राजस्व मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
5. सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
6. सचिव, माननीय श्रम मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
7. सचिव, माननीय समाज कल्याण मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
8. सचिव, माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

9. अपर मुख्य सचिव (गृह), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
10. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के समस्त रेजीटेंट कमीशनर।
11. सिस्टम अनेलिस्ट, मंडलीय आयुक्त दिल्ली का कार्यालय, दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
12. गार्ड फाइल।